113/2021/I/100939/2021-71-2099/256/2021

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में नर्सों हेतु टाईप-3 (80 नग) (जी + 10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश की वेबसाइट पर शासनादेश संख्या-110/2021/आई/100066/2021-71-2099/256/2021, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 अपलोड किया गया है। उक्त अपलोड किये गये शासनादेश में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 578.47 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 578.57 लाख अंकित हो गया है। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को शासनादेश को निरस्त करते हुए शासकीय वेबसाइट से विलोपित कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर नवीन शासनादेश संख्या-112/2021/I/ 100066/2021-71-2099/256/2021, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 अपलोड कर दिया गया है।

2- अतएव शासनादेश संख्या-110/2021/आई/100066/2021-71-2099/256/ 2021, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के क्रम में कोई कार्यवाही न की जाए।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसारः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन विभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
7) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in